

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935

No. 618]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

सं. 53/2013-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 794(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 12/2012-सीमा-शुल्क की अधिसूचना में एतद्वारा और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अनुबंध में, सूची 32क में मद संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि समाविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“113 कामेंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश-600 मेगा वॉट [नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमि. (एनईईपीसीओ)]” ।

[फा.सं. 354/78/2010-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 सा.का.नि.सं. 185(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. सं. 787 (अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित, अधिसूचना सं. 51/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

No. 53/2013-Customs

G.S.R. 794(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely :—

In the said notification, in the ANNEXURE, in List 32A, after item number 112 and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be inserted, namely :—

“113 Kameng Hydro Electric Power Project, Arunachal Pradesh-600 MW [North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO)]”.

[F.No. 354/78/2010-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 51/2013-Customs, dated the 20th December, 2013, published *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 20th December, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

सं. 32/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 795(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि.सं. 163(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 12/2012-उत्पाद शुल्क की अधिसूचना में एतद्वारा और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अनुबंध में, सूची 11 में मद संख्या 105 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि समाविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“106 कामेंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश-600 मेगा वॉट [नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमि. (एनईईपीसीओ)]”।

[फा.सं. 354/78/2010-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 सा.का.नि.सं. 163(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. सं. 628(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित, अधिसूचना सं. 27/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

No. 32/2013-Central Excise

G.S.R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely :—

In the said notification, in the ANNEXURE, in List 11, after item number 105 and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be inserted, namely :—

“106 Kameng Hydro Electric Power Project, Arunachal Pradesh-600 MW [North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO)]”.

[F.No. 354/78/2010-TRU (Pt-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 27/2013-Central Excise, dated the 12th September, 2013, published *vide* number G.S.R. 628(E), dated the 12th September, 2013.